


253
9/7/15 II

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ 15, सोमवार, शाके 1937-जुलाई 6, 2015 Asadha 15, Monday, Saka 1937-July 6, 2015	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)

सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 6, 2015

जी.एस.आर. 47 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नये नियम 182क का अंतःस्थापन.- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के विद्यमान नियम 182 के पश्चात् और विद्यमान नियम 183 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 182क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“182क संकर्मों के लिए विस्तृत प्रक्रिया.- संकर्मों की योजना, मंजूरी और निष्पादन में, प्रत्येक पंचायती राज संस्था और निष्पादन करने वाला कोई अन्य अभिकरण राज्य सरकार द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका में यथा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और निदेशों का पालन करेंगे।”

[सं. एफ.4(7)अमे/रूल/लीगल/पी.आर./2014/480]

राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र कुमार सोलंकी,
संयुक्त शासन सचिव।

**DEPARTMENT OF RURAL
DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ)
NOTIFICATION**

Jaipur, July 6, 2015

G.S.R. 47 .- In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) these rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Insertion of new rule 182 A.- After the existing rule 182 and before the existing rule 183 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, the following new rule 182 A shall be inserted, namely:-

"182A Detailed procedure for works. - In planning, sanction and execution of works, every Panchayati Raj Institution and any other executing agency shall follow the procedure and directions as specified in GRAMIN KARYA NIRDESHIKA issued by the State Government."

[No. F4(7) AM/Rule/Legal/PR/2014/480]

By order of the Governor,
Surender Kumar Solanki,
Joint Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.